कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन,

कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

****

दिल्ली चुनाव की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून व्यवस्था, मतदाता भागीदारी और व्यय निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुखद अनुभव पर जोर दिया गया

मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण, मतदान के दिन मतदाता केंद्रों के बारे में सही जानकारी का प्रसार और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान पर चर्चा की गई

राजनीतिक शिकायतों का समय पर समाधान दिल्ली चुनाव की तैयारियों में प्रगति का संकेत है

डीईओ और आरओ को उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों की शिकायतों का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया गया

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियों पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीओ), एमसीडी के डीसीपी और डीसी, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), पुलिस पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक, सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस, एमसीडी/एनडीएमसी/छावनी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और सीईओ कार्यालय के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सुश्री आर. एलिस वाज के साथ ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य पुलिस नोडल अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान कानून और व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती और संवेदनशील क्षेत्रों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें अधिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में तैनाती के प्रावधान शामिल हैं।

चुनाव व्यय की निगरानी एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र था। अत्यधिक खर्च को रोकने और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के तंत्र पर चर्चा की गई, जिसमें व्यय पर्यवेक्षकों ने बहुमूल्य इनपुट प्रदान किए।

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन पर अपडेट प्रदान किए गए। इन उल्लंघनों को संबोधित करने और हल करने के प्रयास जारी हैं। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर भर में 13 लाख से अधिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने की रिपोर्ट करते हुए अपने विरूपण हटाने के कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP) गतिविधियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। रिटर्निंग अधिकारियों ने मतदाता जागरूकता के लिए अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कीं, जिनकी सराहना की गई और आगे के क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में सूचित मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने में इन गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया गया।

विकलांग व्यक्तियों (PwD) और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा घर से मतदान करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। 31 जनवरी तक मतदाता सूचना पर्चियों (VIS) का 100% वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में उनके नामांकन के बारे में सूचित किया जाए और वे 5 फरवरी, 2025 को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हों। मतदान अधिकारियों ने मतदाता सूचना पर्चियों (VIS) को वितरित करने के लिए जिले के हर घर तक पहुँचना शुरू कर दिया है। इन पर्चियों में मतदाता का नाम, मतदान केंद्र और अन्य प्रासंगिक जानकारी सहित आवश्यक विवरण दिए गए हैं, जिससे नागरिकों के लिए अपने मतदान केंद्रों का पता लगाना और बिना किसी असुविधा के अपना वोट डालना आसान हो गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए सभी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मानकों के अनुसार उचित ढाल वाले स्थायी रैंप प्रदान किए जाने चाहिए। मतदान केंद्र पर उचित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सभी मतदान केंद्रों में उचित साइनेज, स्वच्छ पेयजल, वेटिंग शेड, मेडिकल किट, सुलभ शौचालय और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शिकायतों का त्वरित निवारण, उम्मीदवार और राजनीतिक दलों की चिंताओं का समाधान, मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग, मतदान कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपाय, मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद फॉर्म-17 सी (भाग-1) की एक प्रति सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से एसी स्तर पर नोडल अधिकारी को भेजना, मतगणना केंद्रों पर उचित व्यवस्था आदि पर जोर दिया गया।

***